रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1998/ज्येष्ठ 8, 1920
No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1998/JYAISTHA 8, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1998

सा.का.नि. 285 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन करती हैं।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

   (क) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम 1998 कहे जाएंगें।

   (ख) ये विनियम दिनांक 28 मई 1998 से लागू होंगे।

2. **संशोधन**

   (क) विनियम 3 (1) (ई) छोड़ दिया जाए।

   (ख) विनियम 3 के उप विनियम (1) (एफ) और (जी) को क्रमश: (ई) और (एफ) के रूप में पुन: स्थापित किया जाए।

(ग) विनियम 4 के उप विनियम (ए) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

   (क) इन विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है के सिवाय, बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी जन्म माह के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवा-निवृत्त होगा जिस माह से यह 60 वर्ष की आयु पूरी करता है।

परन्तु यदि कोई कर्मचारी जिसकी जन्म तारीख महीने की पहली तारीख है, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवा निवृत्त होगा।

(घ) विनियम 4 के उप विनियम (बी), (सी) तथा (डी) को छोड़ दिया जाए।

(च) विनियम 4 (एच) के नीचे टिप्पणी (v) में दर्शाए गए 'अट्ठावन वर्ष अथवा' और 'जैसा भी मामला हो' शब्दों को छोड़ दिया जाए।

(छ) विनियम 4 (एच) की टिप्पणी (vi) को छोड़ दिया जाए।

(ज) विनियम 4 के उपनियम (ई), (एफ), (जी) तथा (एच) को क्रमशः (बी), (सी), (डी) तथा (ई) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

[पी.आर. 12016/18/98-पी.ई.-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—मुख्य विनियम, अधिसूचना संख्या पी डब्ल्यू/पी ई के/51/78 दिनांक 2-1-1981 द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसे दिनांक 5-2-1981 को गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1998

G.S.R. 285 (E).–In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Retirement) Amendment Regulations, 1998 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations :

(1) Short title and commencement :

(a) These regulations shall be called the Kandla Port Employees' (Retirement) Amendment Regulations,1998.

(b) They shall come into force from 28th May, 1998.

(2) Amendment

(a) Regulation 3(1) (c) shall be omitted.

(b) Sub-Regulation (1), (f) and (g) of Regulation 3 shall be renumbered as (e) and (f) respectively.

(c) For Sub-Regulation (a) of Regulation 4, the following shall be substituted namely,

"(a) Except as otherwise provided in these regulations, every employee of the Board shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains age of 60 years.

Provided that an employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining age of 60 years."

(d) Sub-Regulation (b), (c) and (d) of Regulation 4 shall be omitted.

(e) The words "fifty eight years or " and "as the case may be" appearing against Note (v) below Regulation 4 (h) shall be omitted.

(f) Note (vi) of Regulation 4(h) shall be ommitted.

(g) Sub-Regulation (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4 shall be renumbered as (b), (c), (d) and (e) respectively.

[F. No. PR-12016/18/98/PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note

The principle regulation was approved vide Notification No. PW/PEK/51/78 dated 2-1-1981 published in the Gazette of Government of Gujarat dated 5-2-81.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Pub[illegible]d by [illegible] C[illegible] of P[illegible] [illegible]-1 [illegible] 4—1[illegible]8